

प्रेषक,

funs'kd/

पशुपालन विभाग,

उ०प्र०, लखनऊ।

सेवामें,

1-izks- icald@v/lt/ld@ef; rdutdli vf/ldkj/ij

राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, चकगंजरिया-लखनऊ/बाबूगढ़-हापुड़
हस्तिनापुर-मेरठ/सैदपुर-ललितपुर/भरारी-झांसी/नीलगांव-सीतापुर/
मंझरा-खीरी/निबलेट-बाराबंकी।

2-ef; i 'kpsdRI kf/ldkj/ij

उरई-जालौन/रायबरेली।

संख्या : 1476-91/प०-2/3-डी-60/चारा/2012-13

दिनांक : 3.12.2012

*fo'k; % i jrth kot Vys M/ks@xkpj H/ie ij pljktkq fodkl dh ;kstuk %100i fr'kr ddi ko %/l/rkr
mi yck djktbz; h /kujkf'k ds l ki sk dk; ll; ou grqfn 'kk funs'ka*

महोदय,

उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक-1089/बजट/29(5)/2012-13
दिनांक 23.11.2012 द्वारा निम्नलिखित प्रक्षेत्रों/गोशालाओं को धनराशि आवंटित की गयी है।

/kujkf'k yk[k : i; seA

<i>ddi d</i>	<i>izks-ks@xks'kkykvtks dk uke , oairk</i>	<i>ekud en i'lt/hr&24 &ogn fuelzk dk; /es vkoAvr /kujkf'k</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, चकगंजरिया-लखनऊ	3.20
2	राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, बाबूगढ़-हापुड़	3.20
3	राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, हस्तिनापुर-मेरठ	3.20
4	राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, सैदपुर-ललितपुर	3.70
5	राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, भरारी-झांसी	3.20
6	राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, मंझरा, लखीमपुर-खीरी	3.50
7	राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, नीलगांव-सीतापुर	3.20
8	राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, निबलेट-बाराबंकी	3.20
9	राजकीय भेड़ एवं बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, बोहदपुरा-उरई-जालौन	3.20
10	गोपाल गोशाला सेवाआश्रम, ग्राम एवं पो०-सिधौना, अमवा, रायबरेली	3.20
11	गोविन्द गोशाला, ग्राम एवं पो०-बाला हरचन्द्रपुर, रायबरेली	3.20
	<i>; ks</i>	<i>36-00</i>

उक्त धनराशि से उन्नत प्रकार से 10 हे० भूमि पर उन्नतशील चारागाह की स्थापना की जानी है।
भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक यूनिट (10 हे० भूमि) को विकसित करने हेतु रु० 6.5 लाख की
धनराशि निर्धारित है। वर्तमान में आवंटित धनराशि से 24-वृहद निर्माण कार्य मद में कार्य किया जाना है। अतः
चारागाह विकास हेतु निम्न निर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त में किसी भी प्रकार का
विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

➤ उपलब्ध कराई गयी धनराशि से भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्यान्वयन करते हुए निम्न तालिका के
अनुसार ही धनराशि व्यय की जाये:-

Hkjr l jdkj dh xkbM ykbu jkjk fu/Mjir dk; /

/kujkf'k yk[k : 0 es

<i>ddi d</i>	<i>dk; kitor enka dk uke</i>	<i>/kujkf'k</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	बाउन्ड्री का चिन्हांकन, फैंसिंग, ट्रिचिंग, झाड़ीदार पौध, वेड वायर	0.20
2	भूमि तैयारी एवं विकास (भूमि का परीक्षण एवं घास की निकाई इत्यादि)	0.50
3	आवश्यक कृषि यंत्रों का क्रय	0.50
4	सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु कुंआ, पम्प, पावर लाइन, वाटर टैंक, पम्प रूम एवं पाइप लाइन इत्यादि	2.50
	<i>; ks</i>	<i>3-70</i>

प्रक्षेत्र प्रबन्धक, चकगजरिया-लखनऊ बाबूगढ़-हापुड, हस्तिनापुर-मेरठ, भरारी-झांसी, नीलगांव-सीतापुर, निबलेट-बाराबंकी, बोहपुरा-जालौन एवं गोपाल सेवा आश्रम ग्रा0 एवं पो0 सिर्धाना अमवा रायबरेली एवं गोविन्द गौशाला ग्रा0 एवं पो0 बाला हरचन्द्रपुर जनपद रायबरेली को रू0 3.20 लाख की दर से धनराशि आवंटित की गई है। संबंधित क्षेत्र प्रबन्धक एवं पशुचिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाईन द्वारा निर्धारित कार्य क्रमशः 1, 2 एवं 4 पर व्यय किया जायेगा।

प्रक्षेत्र प्रबन्धक सैदपुर, ललितपुर को रू0 3.70 लाख आवंटित किया गया है। इसका व्यय क्रमशः 1 से 4 तक के कार्य पूर्ण कराने में किया जायेगा।

प्रक्षेत्र प्रबन्धक मंझरा-खीरी को रू0 3.50 लाख आवंटित किया गया है। इसमें से 3.20 हजार का व्यय क्रमशः 1, 2 एवं 4 के कार्यों को पूर्ण कराने में करना है। आवंटित धनराशि से रू0 30,000.00 (रू0 तीस हजार मात्र) का व्यय नहीं करना है। इसके बाद में प्राप्त धनराशि के साथ समायोजित करते हुये कार्य कराने के निर्देश दिया जायेगा।

- शासनादेश संख्या-3167/सैंतीस-2-2012-1(23)/11 दिनांक 09.11.2012 में उल्लिखित नियमों के अनुसार ही कार्य किया जाय। *Alk: k ifr l ayku%*
- प्रश्नगत कार्य कराने से पूर्व यदि आवश्यकता हो तो सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति अवश्यक प्राप्त कर ली जाये।
- आवंटित धनराशि से तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्य मदों की धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- आवंटित की गयी धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अनुसार ही किया जाए।
- पूर्व में विकसित चारागाहों पर पुनः कार्यान्वयन न किया जाए।
- उक्त धनराशि से 10 हे0 भूमि का विकास किया जाना है। इससे कम किसी दशा में मान्य न होगा।
- आवंटित धनराशि का आहरण एवं कार्यान्वयन आवंटन पत्र संख्या-1089/बजट/29(5)/2012-13 दिनांक 23.11.2012 में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुसार ही किया जाए।
- जिस भूमि को विकसित किया जाना है उसका खसरा संख्या एवं गाटा संख्या इस कार्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

भवदीय

(पी0एस0गौतम)

अपर निदेशक(गो0वि0)

संख्या /प0-2/3-डी-60/चारा/2012-13

दिनांक :

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- उपनिदेशक(प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- उपनिदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ मण्डल लखनऊ/झांसी मण्डल झांसी/मेरठ मण्डल मेरठ/फैजाबाद मण्डल फैजाबाद।
- 3- उपायुक्त, (एफ एफ), भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग, कक्ष सं0-346, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 4- संयुक्त निदेशक (नियोजन) मुख्यालय।
- 5- वित्त एवं लेखाधिकारी (बजट) मुख्यालय।
- 6- प्रमुख सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(पी0एस0गौतम)